258/Gen

हैं, प्राप्त अतिरिक्त एफएआर के लिए पार्किंग एमपीडी-2021 में निर्धारित पार्किंग मानकों के अनुसार उपलब्ध करायी जानी है ।"

[फा. सं. के-12011/5/2007-डीडीआईबी खण्ड-2]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2012

S.O. 1603(E).— Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 regarding Development Code for Parking Standards which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 1543(E) dated 5th July, 2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi 2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

Following sub-para may be included in the MPD-2021 on page 128 in Chapter 17- Development Code in para 8(4) as note (iv) after note (iii):

"(iv) In cases, where the building (except hotel) with sanctioned plan is existing/under construction and where building plans stand sanctioned as per MPD-2021, the parking is to be provided for additional FAR availed, shall be as per the parking standards prescribed in MPD-2021".

[F. No. K-12011/5/2007-DDIB Vol. 2]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1336]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 17, 2012/आषाढ़ 26, 1934
No. 1336]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2012/ASADHA 26, 1934

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2012

का.आ. 1603(अ).— यतः पार्किंग मानकों के लिए विकास संहिता के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05 जुलाई,2011 की सा.आ.सं. 2044 (ई) के तहत सार्वजनिक सूचना के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उप धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

2. यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानूपर्वक विचार करने के पश्चात दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया है; और

3. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11ए की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन:

दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अध्याय 17-विकास संहिता के पृष्ठ 128 पर पैरा 8(4) में नोट (iii) के बाद नोट(iv) के रूप में निम्नलिखित उप-पैरा शामिल किया जाए:

"(iv) उन मामलों में, जहां स्वीकृत प्लान के अनुसार भवन (होटल को छोड़कर) मौजूद/निर्माणाधीन है तथा जहां दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अनुसार भवन पलान स्वीकृत